

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-माध्य/साप्र/सी/5522/सामा.प्रति./19/156

दिनांक:- 04/10/2021

--:कार्यालय आदेश:-

शासन उप सचिव स्कूल शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक : प.19(04)शिक्षा-2 /2019 जयपुर दिनांक : 27.09.21 की पालना में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों/आश्रम/छात्रावासों में मंत्रालयिक कर्मचारियों के रिक्त पदों पर "राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 144 क" के तहत एक वर्ष के लिये निम्नलिखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 5 में अंकित स्थानों हेतु प्रतिनियुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। संबंधित नियंत्रण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल संबंधित को प्रतिनियुक्ति हेतु कार्यमुक्त कर पालना से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें -

क.स.	कर्मचारी का नाम व पद	वर्तमान पदस्थापन स्थान का नाम	प्रतिनियुक्ति पर चयनित पद एवं पदस्थापन स्थान	
			पदनाम	विद्यालय/आश्रम छात्रावास का नाम
1	2	3	4	5
1.	श्री जितेन्द्र सिंह हाड़ा, वरि. सहायक	राउमावि पाटलिया कुल्मी, झालावाड़	वरि. सहायक	जनजाति आवासीय विद्यालय झालरापाटन, झालावाड़
2.	श्री मनमीत किर, वरि. सहायक	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल नैनवा, बुन्दी	वरि. सहायक	ईएमआरएस निवाई, टोंक
3.	श्री अंकुश पाटीदार, कनि. सहायक	राउमावि सेवना, अरनोद, प्रतापगढ़	कनि. सहायक	ईएमआरएस पीपलखूंट, प्रतापगढ़
4.	श्री विशन सिंह चौहान, कनि. सहायक	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, बारांनी रामावतार रावल, बारां	कनि. सहायक	ईएमआरएस मल्लाणा, अलवर
5.	श्री विष्णु कुमार टेलर, कनि. सहायक	रा. मा. वि. धलेडा, पवोटा, जयपुर	कनि. सहायक	एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बिहारीपुरा, जयपुर
6.	श्री सत्येन्द्र सिंह राजावत, कनि. सहायक	राउमावि छनानी, निवाई, टोंक	कनि. सहायक	ईएमआरएस निवाई, टोंक

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/साप्र/सी/5522/सामा.प्रति./19/156

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
2. शासन उप सचिव शिक्षा ग्रुप-2 विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 27.09.2021 के क्रम में सूचनार्थ
3. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) कोटा, संभाग कोटा को कार्यमुक्त करने हेतु।
4. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय) प्रतापगढ़/बारां/जयपुर/टोंक को कार्यमुक्त करने हेतु।
5. संबंधित संस्था प्रधान।
6. संबंधित कार्मिक।
7. कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
8. रक्षित पत्रावली।

दिनांक : 04/10/2021

उप निदेशक (प्रशासन)